

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़

क्रमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/178

दिनांक : 18.10.2021

—:आदेश:—

५००/२१

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कूड़ तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 192 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | कूड़ | 213 | 18, 433, 440, 487, 488, 492 | जाति राजपूत | जाति रावणा राजपूत |

(द्वारा)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर

दिनांक :- 18.10.2021

क्रमांक :-सम/2021/ 179-181

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थीया श्यामकंवर पुत्री परबतसिंह जाति रावणा राजपूत नि. कूड़ को सूचनार्थ।

(द्वारा)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान / केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़


कमांक : राजस्व / प्र.गा.सं.अ. / 2021 / 182

दिनांक : 18.10.2021

—:आदेश:—

589/21
प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोखरिया तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 131 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:—

| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|---------|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | खोखरिया | 131 | 225 | नरपत पिता धोकलराम | नरपतराम पिता धोकलराम |



(नरपतराम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर

दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/ 183-185

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी नरपतराम पिता धोकलराम जाति मेघवाल नि. खोखरिया को सूचनार्थ।


(नरपतराम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़
दिनांक : 18.10.2021
कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/186

५९०/२१

:-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कूड़ तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्बत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 213 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|-------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | कूड़ | 213 | 18, 433, 440, 487, 488, 492 | घेवरसिंह पिता धुलाराम जाति राजपूत | घेवरसिंह पिता धूलसिंह जाति रावणा राजपूत |



(धूलाराम)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/187 - 189

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी घेवरसिंह पिता धूलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कूड़ को सूचनार्थ।


(धूलाराम)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़
दिनांक : 18.10.2021
कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/ 190

—:आदेश:—

491/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोखरिया तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 131 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|---------|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | खोखरिया | 131 | 225 | बीरी पत्नि धोकलराम | भीरकी पत्नि धोकलराम |


(दू.रा.सं.)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/ 191 - 193

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थीया भीरकी पत्नि धोकलराम जाति मेघवाल नि. खोखरिया को सूचनार्थ।


(दू.रा.सं.)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़
दिनांक : 18.10.2021


कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/ 194

—:आदेश:—

५९२/२१

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कूड़ तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 93 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|-------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | कूड़ | 93 | 104, 235, 316/2, 48/2 | ओमाराम पिता कानाराम | ओमप्रकाश पिता कानाराम |


(दूदोराम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/ 195-197

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी ओमप्रकाश पिता कानाराम जाति मेघवाल नि. खोखरिया को सूचनार्थ।


(दूदोराम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर

प्रशासन गांवो के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़
दिनांक : 18.10.2021


कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/198

५९३/२१

—:आदेश:—


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोखरिया तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 131 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|---------|-------------|------------|--------------------------------------|--|
| 1 | खोखरिया | 131 | 225 | सुखराम पिता लादाराम | सुखाराम पिता लादाराम |


(वृद्धाराम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/ 199 - 201
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी सुखाराम पिता लादाराम जाति मेघवाल नि. कूड़ को सूचनार्थ।


(वृद्धाराम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़
कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/202
दिनांक : 18.10.2021

५९५/२१

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोखरिया तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 38 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|---------|-------------|----------------|--------------------------------------|--|
| 1 | खोखरिया | 38 | 252/1, 43/3 | शिवलाल पिता भीकाराम | शिवाराम पिता भीकाराम |


(दू.श्याम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/203-205

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी शिवाराम पिता भीकाराम जाति देवासी नि. खोखरिया को सूचनार्थ।


(दू.श्याम)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़
कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/206 दिनांक : 18.10.2021

५९५ (21)

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व मू.अ.नि.बुचकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कूड़ तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 213 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|-------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | कूड़ | 213 | 18, 433, 440, 487, 488, 492 | गिरवरसिंह पिता किशनकंवर जाति राजपूत | गिरवरसिंह पिता किशन कंवर जाति रावणा राजपूत |

(दू.सि.म.)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/207-209

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी गिरवरसिंह पिता किशनकंवर जाति रावणा राजपूत निवासी कूड़ को सूचनार्थ।

(दू.सि.म.)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) केम्प कूड़

कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/ 210


दिनांक : 18.10.2021

५९६/५

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोखरिया तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 115 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|---------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | खोखरिया | 115 | 280/2, 288/2, 318/1, 75/1, 84/1 | राणाराम पिता धन्नाराम | रणाराम पिता धन्नाराम |


(दू.दा.शर्म)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/ 211-213

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी राणाराम पिता धन्नाराम जाति विशनोई नि. खोखरिया को सूचनार्थ।


(दू.दा.शर्म)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर


प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़
कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/214 दिनांक : 18.10.2021

५९४/२/१
—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व मू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कूड़ तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 213 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|-------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | कूड़ | 213 | 18, 433, 440, 487, 488, 492 | रामसिंह पिता धुलाराम जाति राजपूत | रामसिंह पिता धुलसिंह जाति रावणा राजपूत |


(दू.सि.म.)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/215-217

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी रामसिंह पिता धुलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कूड़ को सूचनार्थ।


(दू.सि.म.)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़ शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़
कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/218 दिनांक : 18.10.2021

५१४/२१

-:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकला की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़ शहर की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कूड़ तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 213 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|-------|-------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | कूड़ | 213 | 18, 433, 440, 487, 488, 492 | कानसिंह पिता धुलाराम जाति राजपूत | कानसिंह पिता धुलसिंह जाति रावणा राजपुत |

(द्वैतसिम)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/219-221

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी कानसिंह पिता धुलसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी कूड़ को सूचनार्थ।

(द्वैतसिम)

पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़ शहर

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, पीपाड़शहर
(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवों के संग अभियान/ केम्प कोर्ट) कैम्प कूड़

कमांक : राजस्व/प्र.गा.सं.अ./2021/ 222


दिनांक : 18.10.2021

५९९(२)

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी कूड़ व भू.अ.नि.बुचकलां की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पीपाड़शहर की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खोखरिया तहसील पीपाड़ शहर व जिला जोधपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 में खाता संख्या 116 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-


| क. सं. | ग्राम | खाता संख्या | खसरा नम्बर | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|--------|---------|-------------|--|--------------------------------------|--|
| 1 | खोखरिया | 116 | 280 / 1, 286, 288, 297, 305, 4 / 1, 74, 75, 83 | राणाराम पिता धन्नाराम | राणाराम पिता धन्नाराम |


(द्वारा)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर
दिनांक :- 18.10.2021

कमांक :-सम/2021/ 223 - 225

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार पीपाड़ शहर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. हल्का पटवारी कूड़ को सूचनार्थ।
3. प्रार्थी राणाराम पिता धन्नाराम जाति विशनोई नि. खोखरिया को सूचनार्थ।


(द्वारा)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिविर प्रभारी, पीपाड़शहर